

**DOCUMENT ON
APPOINTMENT/
PROMOTION FOR
TEACHING STAFF**

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

शैक्षणिक सीधी भर्ती /
पदोन्नति / समयमान नियम, 2021

(संदर्भ: पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25 एवं उनके संगत बनाए गए परिनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के नियुक्ति/पदोन्नति/समयमान वेतनमान हेतु प्रवृत्त)

- (1) विश्वविद्यालय को राज्य शासन से सेटअप में स्वीकृत शैक्षणिक के पदों में नियमित नियुक्ति/पदोन्नति/समयमान वेतनमान हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

| क्रं. | पदनाम | वेतनमान | शासन से स्वीकृत पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति | पदोन्नति | नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता |
|-------|------------------|--|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 1 | प्राध्यापक | राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित | 100% | परिनियम क्र. 9 के अनुसार | विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग G के अनुसार |
| 2 | सह प्राध्यापक | राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित | 100% | परिनियम क्र. 9 के अनुसार | विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग G के अनुसार |
| 3 | सहायक प्राध्यापक | राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित | 100% | परिनियम क्र. 9 के अनुसार | विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 के भाग G के अनुसार |

- 1.1 शिक्षकीय पदों हेतु विभागीय पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु समिति का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।
- 1.2 विश्वविद्यालय परिनियम 13 की परिशिष्ट में उल्लेखित पदनाम को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित वेतनमान एवं अन्य लाभ देय होंगे।
- 1.3 विश्वविद्यालय के समस्त नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में छ.ग. शासन के समस्त आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

2. पदोन्नति/क्रमोन्नति समिति -

- (2.1) शिक्षकीय पदों हेतु विभागीय पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु समिति का गठन विश्वविद्यालय

VERIFIED अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/विश्वविद्यालय परिनियम

क्रमांक 09 के अनुसार होगा।

(3) चयन समिति का गठन –

(3.1) शैक्षणिक पदों में सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु चयन समिति विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 09 के अनुसार होगी।

(4) सीधी भर्ती परीक्षा अवधि नियुक्ति तिथि से मानी जावेगी, किन्तु यदि एक ही आदेश के तहत अनेक शिक्षकों की एक साथ नियुक्ति की गई हो, उनकी आपस में वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति आदेश की वरीयता क्रम में किया जाएगा।

(5) नियुक्त किये गये शिक्षकों की वरिष्ठता उनकी परीक्षा की समाप्ति पर गुणानुक्रम के अनुसार स्थायीकरण में बरकरार रखी जायेगी। किन्तु यदि किसी शिक्षक की परीक्षा अवधि में वृद्धि की जाती है तो उसका स्थायीकरण तीन वर्ष के बाद की तिथि से होगा तथा उसकी वरिष्ठता का निर्धारण आदेश देने वाले प्राधिकारी के द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। वह चाहे तो बाद में स्थायीकरण की तिथि से वरिष्ठता दे अथवा सामान्य परीक्षा अवधि की समाप्ति की तिथि से।

(6) आचरण नियम :-

विश्वविद्यालय अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 के अंतर्गत निर्मित परिनियम 13 में वर्णित आचरण नियम विश्वविद्यालय शिक्षकों पर लागू है किन्तु इसमें वर्णित प्रावधान अत्यंत संक्षिप्त है। अतः विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रकरणों के निपटारा हेतु छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की समय-समय पर उनमें सुधार लागू होंगे।

(7) शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

(8) इस विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जिनकी किसी आरोप के कारण सेवा समाप्त की गई है, वे किसी भी पद के लिये अर्ह नहीं होंगे।

(9) इस नियम में उल्लेखित समस्त प्रक्रिया या अन्य शर्तों को विहित करने तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कुलपति, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय को होगा, जो पूर्णतः बन्धनकारी होगा।

..... 0000.....

PART-G. Minimum Qualification for Teaching Posts.

G.1(A) DIRECT RECRUITMENT FOR TEACHING POST

1. For the Disciplines of Arts, Commerce, Humanities, Education, (Non-professional courses), Law, Social Sciences, Sciences, Languages, Library Science, Physical Education, and Journalism & Mass Communication, Management.

I. Assistant Professor

As per UGC Regulation enforced from time to time.

II. Associate Professor

As per UGC Regulation enforced from time to time.

III. Professor

As per UGC Regulation enforced from time to time.

2. YOGA DISCIPLINE

I. Assistant Professor

As per UGC Regulation enforced from time to time.

II. Associate Professor

As per UGC Regulation enforced from time to time.

III. Professor

As per UGC Regulation enforced from time to time.

3. MINIMUM QUALIFICATIONS FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POSTS IN UNIVERSITY FOR B.Ed. FACULTY POSITION IN THE REGULATION OF NCTE

I. Assistant Professor in Educational Studies:

As per UGC and NCTE Regulation enforced from time to time.

II. Specialised Courses

As per UGC and NCTE Regulation enforced from time to time.

4. MINIMUM QUALIFICATIONS FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POSTS OF UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN

UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN / LIBRARIAN IN ASSISTANT LIBRARIAN GRADE

As per UGC Regulation enforced from time to time.

VERIFIED



REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Bauer
Dr. Prakriti James
Incharge NAAC Criteria-VI
PSSOU, CG Bilaspur

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कोनी - बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक- (07752) 240715

www.pssou.ac.in Email - registrar@pssou.ac.in

क्र. 293/अका./2021

बिलासपुर, दिनांक 08/7/2021


// अधिसूचना //

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के विद्यापरिषद की 35 वीं आपात बैठक दिनांक 26/06/2021 तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 03/नियमित/2021 वीं बैठक दिनांक 29/06/2021 में संशोधन पश्चात् अनुमोदित शैक्षणिक सीधीभर्ती/पदोन्नति/समयमान नियम, 2021 को इस विश्वविद्यालय के लिये तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ.क्र. 294/अका./2021
प्रतिलिपि:

बिलासपुर, दिनांक 08/7/2021


1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. कुलपति जी के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. विभागाध्यक्ष हिन्दी/ राजनीति विज्ञान/ समाजशास्त्र/ लाइब्ररी साइंस/ मनोविज्ञान प्रबंधन/ कम्प्यूटर साइंस/ शिक्षा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. क्षेत्रीय निदेशक, (क्षेत्रीय सेवा प्रभाग) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी वेबसेल को इस निर्देश के साथ की इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. नस्ती हेतु।


कुलसचिव

शु

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कोनी - बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक- (07752) 240715

www.pssou.ac.in Email - registrar@pssou.ac.in

क्र.२११/अका./2021

बिलासपुर, दिनांक ०८/०७/2021

// अधिसूचना //

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के विद्यापरिषद की 35 वीं आपात बैठक दिनांक 26/06/2021 तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 03/नियमित/2021 वीं बैठक दिनांक 29/06/2021 में संशोधन पश्चात् अनुमोदित शैक्षणिक सीधीभर्ती/पदोन्नति/समयमान नियम, 2021 को विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 1 में संशोधन भाग G: शिक्षकों की योग्यता को जोड़ा जाता है।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ.क्र.२१२/अका./2021

बिलासपुर, दिनांक ०८/०७/2021

प्रतिलिपि:

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. कुलपति जी के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. विभागाध्यक्ष हिन्दी/ राजनीति विज्ञान/ समाजशास्त्र/ लाइब्ररी साइंस/ मनोविज्ञान प्रबंधन/ कम्प्यूटर साइंस/ शिक्षा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. क्षेत्रीय निदेशक, (क्षेत्रीय सेवा प्रभाग) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी वेबसेल को इस निर्देश के साथ की इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. नस्ती हेतु।


कुलसचिव





पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 284 / अका. / वि.प. / बैठक / 2021,

बिलासपुर, दिनांक 28 / 06 / 2021

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 35 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में दिनांक 26/06/2021, दिन शनिवार अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।
बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर - अध्यक्ष
2. प्रो. एल.पी. पटैरिया, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट) - सदस्य
3. प्रो. आर.पी. दास
सम कुलपति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित) - सदस्य
4. डॉ. राजलक्ष्मी सेलट(विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
5. प्रो. मनीष श्रीवास्तव, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित) - सदस्य
6. प्रो. मीता झा, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित) - सदस्य
7. डॉ. अनिता सिंह,
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सदस्य
8. श्री संजीव कुमार लवानिया (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति)
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सदस्य

(Handwritten signature)

- | | | | |
|-----|--|---|-------|
| 9. | डॉ. एस. रूपेन्द्र राव (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 10. | श्री रेशमलाल प्रधान (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 11. | डॉ. इंदु अनंत कुलसचिव पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सचिव |

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | संचालक छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
|----|---|---|-------|

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया -
प्रस्ताव क्र. 01- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 34 वीं बैठक का विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय - अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02- विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 1 में संशोधन भाग G: शिक्षक/गैर शिक्षक अधिकारियों की योग्यता को जोड़ने हेतु सुझाव पर विचार।

निर्णय - शिक्षकीय पदों हेतु मैनेजमेन्ट जोड़ा जाए के साथ मान्य किया गया। योग्यता का विस्तृत वर्णन न करके "Eligibility will be as per UGC Regulation enforced from time to time" लिखा जाए और शैक्षणिक पदों हेतु पृथक से समिति बना कर विचार किया जाए। कार्यपरिषद् में रखा जाय।

प्रस्ताव क्र. 03- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सीधी भर्ती/पदोन्नति/समयमान नियम, 2021 संबंधी।

निर्णय - गैर शैक्षणिक पदों हेतु यह सुझाव दिया गया कि अलग से नियम बना कर कार्यपरिषद् में रखा जाए। रिजनल डायरेक्टर, असिस्टेंट लायब्रेरियन, निज सचिव कुलपति, के लिये कमेटी बना दें। अनुशंसा कार्यपरिषद् में ली जाये। **शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती/पदोन्नती नियम 2021 को संशोधन के साथ संस्तुत किया गया।**

प्रस्ताव क्र.04- SWAYAM द्वारा संचालित MOOC कोर्स को विश्वविद्यालय के Credit Framework के अनुरूप सम्मिलित करने विषयक।

निर्णय - "वर्तमान शिक्षण सत्र मे" की जगह पर "आगामी शिक्षण सत्रों" से किया जाए।

(Handwritten signature)

प्रस्ताव क्र. 05- बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस के प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रमों की अनुशंसा तथा पाठ्यपुस्तक सामग्री का अनुमोदन पर विचार।
निर्णय - अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र.06- सहायक प्राध्यापको के लघु-शोध प्रबंध (Minor Research Project) की मूल्यांकन रिपोर्ट सूचनार्थ।
निर्णय - सूचना ग्रहण किया गया।


प्रस्ताव क्र. 07- विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय - अनुमोदन किया गया।


प्रस्ताव क्र.08- विश्वविद्यालय में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन संबंधित।
निर्णय - ऐसे सभी पाठ्यक्रम जिनका AICTE द्वारा Approval लेना है उन पाठ्यक्रमों हेतु AICTE की अनुमति की प्रतीक्षा की जाए एवं ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें AICTE की अनुमति की आवश्यकता न हो उन्हें यथावत संचालित किया जाए तथा UGC को पत्र लिखा जाए।

बैठक के अंत में विद्या परिषद् को सूचीत किया गया की दीक्षांत समारोह में प्रो. नागेश्वर राव (कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) को मुख्य वक्ता के रूप में दी गई सहमति की सूचना ग्रहण की गई। दीक्षांत समारोह के लिए प्रयास जारी है।

डॉ. चरण दास महंत जी द्वारा स्वी. श्री बिसाहू दास महंत जी के नाम से सर्वोच्च ग्रेड प्राप्त दिव्यांग छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक के लिए रु. 1 लाख राशि प्रदान की गई है, जो विश्वविद्यालय को प्राप्त होने की सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष


(इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं. 285/अका./वि.प./बैठक/2021,

बिलासपुर, दिनांक 28/06/2021

प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण -
- 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
- 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

- 2.3 प्रो आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़.
- 2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 2.7 क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
- 2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
- 2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
- 2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन. शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।


कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 52/का.प./बैठक/2021

बिलासपुर, दिनांक 30/06/2021

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 03/नियमित/2021, दिनांक 29/06/2021, दिन मंगलवार को प्रातः 11:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर के सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2, 3, 4 एवं 7 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह - अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) - सदस्य
आचार्य
मानविकी अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)
3. श्री एम. डी. दीवान (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) - सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
4. श्री एस.एल.नायक (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) - सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.)
5. पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु - सदस्य
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)
6. श्री प्रफुल्ल शर्मा - सदस्य
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)
7. श्री उचित सूद (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) - सदस्य
होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)

९

8. श्री आर.के. पटेल - सदस्य
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
9. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
- डॉ. इंदु अनंत - सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके -

1. श्री गुलाब कमरो - सदस्य
उपाध्यक्ष
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर
2. श्री संतराम नेताम - सदस्य
उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर
3. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) - सदस्य
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

प्रो. जितेन्द्र श्रीवास्तव जी के कार्यपरिषद् के दूसरी बार सदस्य बनने की सूचना कार्यपरिषद् को दी गई। प्रो. जितेन्द्र श्रीवास्तव जी का कार्यपरिषद् में हार्दिक स्वागत किया गया इसके पश्चात् कार्यपरिषद् में कार्यसूची रखी गई। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये -

प्रस्ताव क्र. 01 - विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 02/नियमित/2021, 03/आपात/2021 बैठक एवं 04/आपात/2021 बैठक की कार्यवाही-विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय - कार्यवृत्त एवं पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 – विश्वविद्यालय सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था के ठेका की समयावधि बढ़ाने संबंधी।
निर्णय – विश्वविद्यालय सुरक्षा एवं सफाई ठेका की समयावधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। सुरक्षा एवं हाउसकिपिंग प्रभारी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के रिपोर्ट के आधार पर कार्यपरिषद् द्वारा एक वर्ष के समय की वृद्धि की अनुशंसा इन शर्तों के साथ की गई की संबंधित फर्म द्वारा समस्त दस्तावेजों की नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराया जाय। कार्यरत सुरक्षा एवं सफाई कर्मचारी जिन स्थानों पर अपनी सेवाए दे रहे हैं उनकी पूर्ण जानकारी कार्यपरिषद् की अगली बैठक में सूचनार्थ रखी जाय।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने संबंधी।
निर्णय – गैर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर 30 की संख्या रखी जाय इस प्रकार तीसरे वर्ष 90 की संख्या होगी। समिति बनाकर नियमावली तैयार कर लिया जाय। नियमवाली बनाने में वित्ताधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया जाय।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – विश्वविद्यालय विवरण पुस्तिका के मुद्रण की कार्योत्तर राशि रु. 12,66,496/- की स्वीकृति संबंधी।
निर्णय – विश्वविद्यालय विवरण पुस्तिका के मुद्रण की कार्योत्तर राशि रु. 12,66,496/- की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय में नवीन सौर संयंत्र स्थापना हेतु कुल व्यय रु. 79,86,000/- की स्वीकृति संबंधी।
निर्णय – विश्वविद्यालय में नवीन सौर संयंत्र स्थापना हेतु कुल व्यय राशि रु. 79,86,000/- की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – विद्यापरिषद् की 35 वीं आपात बैठक के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सीधी भर्ती/पदोन्नति/समयमान नियम, 2021 संबंधी।

निर्णय – प्रस्ताव क्र. 06 पर निर्णय के अनुरूप, अनुमोदित किया गया।

अशैक्षणिक पदों के लिए अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर एवं राज्य के बाहर के मुक्त विश्वविद्यालय जैसे इग्नू नई दिल्ली, भोज मुक्त

10/4/21

8

विश्वविद्यालय भोपाल या राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से सदस्यों को लेकर नियम तैयार कर ली जाय।

विश्वविद्यालय तैयार नियमावली में UGC के नियम जिन बिन्दुओं पर नहीं है वहां राज्य शासन के नियम लागू होंगे। राज्य शासन का नियम न होने की स्थिति में कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृत नियम लागू होंगे, यह भी उल्लेखित किया जाय।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – आयकर ई-फिलींग एवं आयकर रिटर्न के फीस की राशि रु 1,53,400/- की भुगतान करने संबंधी।

निर्णय – आयकर ई-फिलींग एवं आयकर रिटर्न के फीस की राशि रु 1,53,400/- की भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 09 – सत्रीय परीक्षा मूल्यांकन हेतु रु. 20,50,000/- की कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – सत्रीय परीक्षा मूल्यांकन हेतु राशि रु. 20,50,000/- की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 10 – विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

प्रस्ताव क्र. 11 – विश्वविद्यालय द्वारा क्रय किए कम्प्यूटर के देयक भुगतान संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा क्रय किए कम्प्यूटर के देयक राशि रु. 75,80,438.00/- (पचहत्तर लाख अस्सी हजार चार सौ अड़तीस रु. मात्र) के भुगतान पर चर्चा की गई। CPU के संबंध में कार्यादेश में उल्लेखित एवं प्रदाय की गई सामग्री में भिन्नता की जानकारी दी गई। निर्णय किया गया कि इस संबंध में तीन सदस्यीय समिति बनाकर रिपोर्ट ली जाय। समिति निम्नानुसार होगी:-

1. प्रो. मनीष श्रीवास्तव, कम्प्यूटर साइंस विभाग, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर
2. डॉ. जितेन्द्र कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
3. श्री रेशमलाल प्रधान, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ समिति अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौपेगी।

कार्यवाही – कम्प्यूटर विभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 12 – विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 1 में संशोधन भाग G: शिक्षको की योग्यता संबंधी।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

8

प्रस्ताव क्र. 13 – विश्वविद्यालय पैनल लॉयर्स की सूची में नाम निरसित करने की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – विधि प्रकोष्ठ

प्रस्ताव क्र. 14 – विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को बस सुविधा प्रदान करने संबंधी।

निर्णय – बस सेवा लागू की जाए। प्रति कर्मचारी प्रति माह रू. 100/- टोकन राशि लिया जाय। कोविड के दिशा निर्देशों के साथ बस सुविधा लागू की जाय।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 15 – पी. स्कवायर के देयक की राशि रू. 3,32,154/- भुगतान संबंधी।

निर्णय – पी. स्कवायर के देयक की राशि रू. 3,32,154/- भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 16 – मुख्यालय एवं अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत मानसेवियों के मानदेय भुगतान संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में वेतन भुगतान संबंधी पूर्ववत व्यवस्था कुलपति द्वारा स्वीकृति को यथावत लागू रखे जाने की अनुशंसा की गई।


कार्यवाही – वित्त विभाग


प्रस्ताव क्र. 17 – वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु CA पैनल से CA नामांकित किए जाने संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में कार्यरत फर्म के कार्यों के संबंध में रिपोर्ट वित्ताधिकारी से ली जाय। रिपोर्ट संतोषजनक होने पर फर्म को एक वित्तीय वर्ष के लिए पुनः अनुमति प्रदान की जाय।

कार्यवाही – वित्त विभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष


(इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव


पृ. क्र. 52 / का.प. / बैठक / 2021,

बिलासपुर, दिनांक 30/06/2021

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

3. सम्माननीय सदस्यगण –
 - 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
 - 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्षा पड़ाव नगर, पंचायत केषकाल, जिला कोण्डागांव।
 - 3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
 - 3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
 - 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
 - 3.6 सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 - 3.7 सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 - 3.8 पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
 - 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।
 - 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।
 - 3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
- की ओर कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
 5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 6. संबंधित विभाग प्रमुखों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
 7. नस्ती हेतु।


 कुलसचिव